

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12851 / 6 / 4

दिनांक :- 23-03-18

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री विधा देवी [लिंक न. 12851] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, हनुमानगढ़ - [32317] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08/08/2017 से 22/08/2017 तक 15 दिवस

दिनांक 28/08/2017 से 06/09/2017 तक 10 दिवस

कुल 25 दिवस

उक्त कुल 25 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री विधा देवी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12851 / 6 / 4

दिनांक :- 23-03-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, हनुमानगढ़
2. कोषाधिकारी हनुमानगढ़
3. श्री /श्रीमती / सुश्री विधा देवी [12851] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, हनुमानगढ़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)